



प्रारूप संख्या 8  
स्थायी अनुज्ञप्ति

व्यापारी वर्ग

(राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के नियम 69/72 के अधीन मन्जूर)

स्थायी अनुज्ञप्ति संख्या.....1046.....

दिनांक.....02.06.2016

मैसर्स मै. राजस्थान अनाज भण्डार, पीलीबंगा

पता दुकान सं. 22, पुरानी धान मंडी, पीलीबंगा

को राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के नियम 69/72 के अधीन इसके नीचे उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर कृषि उपज का व्यापार करने के लिए व्यापारी/ 'क' वर्ग दलाल/ 'ख' वर्ग दलाल/ संयुक्त (व्यापारी 'क' वर्ग दलाल) / तुलाईकार / मापक / सर्वेक्षक / भंडारागार कर्मी/ फुटकर विक्रेता और अन्य ऑपरेटर के रूप में मण्डी क्षेत्र पीलीबंगा में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति मन्जूर की जाती है।

यह स्थायी अनुज्ञप्ति अनन्तरणीय है।

अनुज्ञप्तिधारी की ओर से निम्नलिखित सहायक/प्रतिनिधि कार्य करेंगे :-


क्र.स.	नाम	पिता / पति का नाम	पता
--------	-----	-------------------	-----

1.	लखवीरसिंह पुत्र श्री मलकीतसिंह जाति-कम्बोज सा.वार्ड नं.3, पीलीबंगा तहसील-पीलीबंगा(हनुमानगढ़)		(प्रोपराईटर)
----	--	--	--------------

2.

3.



  
सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
पीलीबंगा